Helpline 1064

WhatsApp 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जालोर, जयपुर में दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के विरूद्ध दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में 3 ठिकानों पर छापे**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *16 अप्रेल, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर आज ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा जयपुर, जालोर कार्यवाही करते हुये **के.के. मीणा तत्कालीन प्रबंध निदेशक दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला जालोर (हाल निलंबित) व अन्य** के विरूद्ध दर्ज भ्रष्टाचार के प्रकरण में आरोपियों के जालोर एवं जयपुर में स्थित 3 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि **के.के. मीणा तत्कालीन प्रबंध निदेशक दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला जालौर (हाल निलंबित)** द्वारा जसाराम वरिष्ठ प्रबंधक (रिटायर्ड) एवं उनके पुत्र प्रवीण मीणा के मार्फत रिश्वत के रूप में 40 लाख रुपये प्राप्त कर अपने परिचितों के बैंक खातों में ट्रांसफर की है। शिकायत का सत्यापन किया जाकर भ्रष्टाचार का मामला बनना पाये जाने पर **प्रकरण** दर्ज कर **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरोही श्री ओमप्रकाश चौधरी** के नेतृत्व में **अनुसंधान अधिकारी श्री पदमपाल पुलिस निरीक्षक ए.सी.बी. सिरोही** द्वारा सक्षम न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त किया जाकर आज **श्री सुनील सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी. जयपुर ग्रामीण, श्री अरविन्द पुलिस निरीक्षक एसीबी जालोर** की टीमों के साथ आज अलसुबह आरोपियों के जयपुर एवं जालोर स्थित 3 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई।

तलाशी में आरोपी के.के.मीणा के जयपुर स्थित आवास से आवासीय भूखण्डों के **131 पट्टे, 740 ग्राम सोने के आभूषण, 3.90 किलोग्राम चांदी एवं 7 लाख रुपये डायमण्ड आभूषण** मिले हैं। इसके अतिरिक्त **1 बैंक लॉकर एवं 5 बैंक खाते** भी मिले हैं। संदिग्ध जसाराम वरिष्ठ प्रबंधक (रिटायर्ड) के जालोर स्थित आवास से तलाशी में **52 लाख रुपयों की एफ.डी., 22 तोला स्वर्ण आभूषण, 4 किलोग्राम चांदी तथा 2 लाख रुपये नकदी** मिली है। ब्यूरो के प्राथमिक आकलन एवं अब तक मिले दस्तावेजों के अनुसार **आरोपी के.के.मीणा** द्वारा **अनेक** परिसम्पत्तियां अर्जित करने का अनुमान है, जो उनकी **वैध आय से अधिक** है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है। मामले में ए.सी.बी द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण पृथक् से पीसी एक्ट में दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**